(1)

संख्या-1916/15-7-09-1(299)/2007

22.7.09

एफ0एन0 प्रधान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उ0प्र0, लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 2009

शिक्षा (7) अनुभाग

विषयः– प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन,नईदिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2762/15–13–91–41461/91, दिनांक 30 नवम्बर, 1991, संख्या–1546/1577–93–16(17)/1992, दिनांक 04.01.1994 एवं सं0–5001/15–7–16(17)/1992, दिनांक 29 नवम्बर, 1997 के द्वारा प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थाओं को काउन्सिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली/सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु निर्धारित तत्कालीन प्रकिया को संशोधित करते हुए मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा संस्थाओं को सामान्य शर्तों के अधीन कतिपय प्रतिबन्धों सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2– सी0बी0एस0ई0 बाइलाज के अन्तर्गत किसी संस्था को संबद्धता तभी प्रदान की जायेगी जब राज्य सरकार द्वारा इस हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित संस्था को जारी किये जायेगें। इस संबंध में सी0बी0एस0ई0 बाइलाज के अध्याय–2 की धारा 3(1) निम्नवत् हैः–

(3) (i) The school should have formal recognition by the State Government and its application should be forwarded by the State Government or there should be a No Objection Certificate to the effect that the State Government has no Objection to the affiliation of the school with the C.B.S.E.

आई0सी0एस0ई0 बाइलाज के अन्तर्गत अध्याय–1 की धारा 2.a(i) में प्राविधान निम्नवत् किया गया हैः–

2.(a) The Council Will arrange for an inspection of the school only:
(I) after the school has obtained a Certificate of Recommendation/No Objection Certificate from the State Department of Education or has been exempted from this requirment by the appropriate Courts.........

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7(ख) के अन्तर्गत प्रदेश में डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र को अप्राधिकृत रूप से प्रदान करने का प्रतिषेध है। इसी प्राविधान को देखते हुये प्रदेश के बाहर स्थित

परीक्षा परिषदों (सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0) की अनुमति दिये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

3— सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0सी0 के बाईलाज में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उक्त संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की व्यवस्था है। शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर,1991 द्वारा प्रदेश स्थित सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0सी0 द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के लिए अनापत्ति प्रदान किये जाने की सामान्य शर्तें निर्धारित की गयी हैं। शासनादेश के प्रस्तर–पाँच के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु संस्थाओं की सोसायटी बाईलाज में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो का समावेश किया जाना अनिवार्य है। अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में आख्या एवं संस्तुति भेजते समय संस्थाओं द्वारा इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि संबंधित संस्था द्वारा सोसायटी नियमावली में उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित शर्तो को समाविष्ट किये जाने के लिए प्रबंधतंत्र की सहमति से विधिवत् प्रस्ताव पारित किया गया है। संस्था द्वारा सोसायटी के नियमावली में शर्तो के समाविष्ट किये जाने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा संस्था को सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 की संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है जिसमें संस्था द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन एवं संशोधन नहीं किया जा सकता है।

4— यहाँ उल्लेखनीय है कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु संस्था प्रबंधक द्वारा शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर,1991 में निर्धारित प्रकिया एवं प्रारूप पर आवेदन पत्र संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर प्रत्येक बिन्दु पर आख्या/संस्तुति निदेशक (मा0) को उपलब्ध कराया जाता है। निदेशक (मा0) से आख्या एवं संस्तुति प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की यह प्रकिया जहाँ एक ओर जटिल तथा समयसाध्य है वहीं दूसरी ओर संबंधित संस्थाधिकारी को अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इस प्रकार जनपद स्तर से शासन स्तर पर प्रकियान्तर्गत होने वाले विलम्ब एवं अनुभूत कठिनाइयों एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत संस्थाहित में आवश्यक है कि वर्तमान प्रकिया में बदलाव करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की व्यवस्था को विकेन्द्रित कर दिया जाय।

5— अतः वर्णित परिस्थितियों में प्रदेश स्थित सी0बी0एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित किये जाने के पूर्व संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर निम्नवत् गठित समिति द्वारा दिया जायेगा:—

(क) मण्डलायुक्त,संबंधित मण्डल	– अध्यक्ष
(ख) जिलाधिकारी,संबंधित जनपद	– सदस्य
(ग) संयुक्त शिक्षा निदेशक,संबंधित मण्डल	– सदस्य सचिव
(घ) जिला विद्यालय निरीक्षक,संबंधित जनपद	– सदस्य

6— संस्था प्रबंधतंत्र द्वारा शासनादेश 30 नवम्बर,1991 में निर्धारित प्रकिया एवं प्रारूप पर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु संबंधित मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक को आवेदित किया जायेगा। संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा अधिकतम दो माह के अन्दर संबंधित आवेदित विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करके उक्त शासनादेश में इंगित बिन्दुओं पर

स्पष्ट आख्या संबंधित मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायी जायेगी। आख्या प्राप्त होने पर उपर्युक्त गठित समिति द्वारा अधिकतम एक माह के अन्दर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने पर निर्णय लेकर सभी संबंधित तथा सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड एवं शिक्षा निदेशक,माध्यमिक को सूचित किया जायेगा।

भवदीया,

(एफ0एन0 प्रधान)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1916(1)/15–7–2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
3– सचिव,कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन,प्रगति हाउस, तृतीय तल,47–48,नेहरू प्लेस,तृतीय तल,नईदिल्ली।
4– सचिव,केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,प्रीति विहार, नईदिल्ली।
5– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश।
6– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।

पृ0सं0: मा0शि0वि/एनओसी/4106-4195/2009-10, दिनांक- 15/7/2009

उपरोक्त शासनादेश की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
2– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

श्रीमती रूबी सिंह
संयुक्त शिक्षा निदेशक,शिविर
कृते शिक्षा निदेशक,मा0,उ0प्र0,लखनऊ।